



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड राष्ट्र (राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉरपोरेट कार्यालयः– 4, मीरा मार्ग, उदयपुर – 313 001 रजि. कार्यालयः– सी–89–90, लाल कोठी स्कीम जयपुर, CIN-U14109RJ19495GC000505 Phone: 0294-2428763-67, Fax: 0294-2428770/2428739 e-mail: info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांकः- आरएसएमएम/सीओ/पर्स/6(15)/2015/1050 दिनांकः- 2.5/01/2021

—ःपरिपत्रः—

विषयः– आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 01.01.2021 के अनुसार प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया गया है।

आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों को निग्नांकित बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि इस संबन्ध में इन बिन्दुओं की पालना स्निश्चित करावें।

- वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी 2021 की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2021 तक अनिवार्य रुप से भरा जाना है, 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE मोड्यूल को बन्द कर दिया जावेंगा। उसके बाद अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जायेंगें।
- 2. आरएसएमएमएल के जो अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना उपर्युक्त समय सीमा में नही भरेगें/प्रस्तुत नही करेंगें ,उन्हे राजस्थान सरकार, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 01.01.2021 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार उनकों विजिलेंस क्लियरेंस नही दी जावेंगी एवं पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नहीं दी जावेगी।
- 3. आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों को SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन लाईन IPR MODULE भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ, संलग्न गाईड—लाईन एवं यूजर मेन्यूअल प्रपत्र का अवलोकन करें, एवं कठिनाई होने पर विस्तृत जानकारी हेतु श्री नीरज श्रीमाली, वरिष्ठ प्रबन्धक (एमआईएस), कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर से सम्पर्क कर सकते है।

अतः आरएएमएमएल के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से ERP सॉफ्टवेयर IPR MODULE द्वारा ऑन—लाईन स्वयं समय सीमा में पूर्ति करें।

उक्त परिपत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पश्चात जारी किया जा रहा है।

(बाल मुकुद असीवा)_{आरएएस.} कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपिः--

- 1. निजी सहायक, श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय।
- 2. वित्तिय सलाहकार, आरएसएमएमएल, उदयपुर।
- 3. समस्त समूह महाप्रबन्धक/प्रमुख एवं प्रभारी, एसबीयू–पीसी लिग्नाईट/लाईमस्टोन/ जिप्सम/रॉक फॉस्फेट एवं समस्त विभागाध्यक्ष, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर/ देहली/कोलकता कार्यालय को निर्देशानुसार भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुये इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
- 4. श्री नीरज श्रीमाली, वरिष्ठ प्रबन्ध (एमआईएस)
- 5. सम्बन्धित पत्रावली / गार्ड पत्रावली / संबंधित नोटिस बोर्ड।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Steps to submit IPR

- 1. http://sso.rajasthan.gov.in
- 2. Provide user name, password and captcha
- 3. Go to Menu \equiv
- 4. Click on My Information HRMS
- 5. Click on Asset Declaration
- 6. Click on Declare Button
- 7. Add Assets
- 8. Fill up all the required Columns.
- 9. Save
- 10. Add asset, if more to be added.
- 11. Once all assets are added, Press Submit button to approve.
- 12. Take out the Print Out of the submitted document, Sign it and Upload the document for future reference.